

21.10.22

कोर्ट को उपस्थित करने। मासिक एवं
 कोर्ट को कोर्ट वा आवाज लगाई
 कोर्ट को कोर्ट वा आवाज नहीं लगाई
 उपस्थित नहीं। अतः प्र. सं. 212 का
 अर्थ कोर्ट को अ. 2 वा. 5 को
 कोर्ट को कोर्ट वा आवाज नहीं लगाई
 कोर्ट को कोर्ट वा आवाज नहीं लगाई

उपखण्डाधिकारी
 धौलपुर (राज.)